(153)

पेस्ती - 9039/ब/17

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल
निग. 392 पीबीआर/17

श्री एम.एल.ठाकुर
एडवोकेट 914
24.1.17 को
प्रस्तुत।

बद्रीप्रसाद - - - - - - - निगरानीकर्ता

विरुद्ध

सुनील विजय जैन - - - - - प्रतिनिगरानी कर्ता

आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 व्य०प्र०सं०

निगरानीकर्ता निम्ननिवेदन प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में ग्राह्यता के ऊपर तर्क हेतु नियत था।

2. यह कि आवेदक के अभिभावक श्री एम.एल.ठाकुर रास्ते में आते समय जाम लगने के कारण माननीय न्यायालय में आवाज लगने पर उपस्थित नहीं हो सके इस कारण से माननीय न्यायालय के द्वारा प्रकरण को खारिज कर दिया गया है।

3. यह कि, जैसे ही 1:30 मि. पर न्यायालय में उपस्थित हुए तो मालूम पड़ा कि प्रकरण अदम पैरवी में खारिज पड़ा है।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिए जाने की कृपा करें एवं आवेदन स्वीकार किया जावे जो न्यायहित में होगा।

स्थान भोपाल

दिनांक :- 24/01/2017

आवेदक
द्वारा अधिवक्ता।

Resto 9039-PB-2/17 (भोजपुर)

25.1.2017	प्रस्तुतकार आवेदक की ओर से श्री एम०एस० ठाकुर अभिभावक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधान-कारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।

[पीछे देखिये

अध्यक्ष